न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–270/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00150)

1. नूर मौहम्मद पुत्र सेहतू, जाति मेव, निवासी ग्राम धमुकड, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. अरशद उम्र करीब 25 साल पुत्र श्रीमती आशिनी पत्नी दीनू पुत्री सेहतू, जाति मेव, निवासी हाल गोधोली, तहसील पुन्हाना जिला नूंह मेवात, हरियाणा,
2. मुश्ताक उम्र करीब 14 साल पुत्र श्रीमती आशिनी पत्नी दीनू पुत्री सेहतू, जाति मेव, निवासी हाल गोधोली, तहसील पुन्हाना, जिला नूंह मेवात, हरियाणा सरपरस्त पिता दीनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

3. ग्राम पंचायत बाघोडा, पंचायत समिति किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बाघोड़ा, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।
4. मैमूना उम्र करीब 27 साल पुत्री आशिनी पत्नी दीनू पुत्री सेहतू, जाति मेव, निवासी गोधोली, तहसील पुन्हाना नूंह मेवात हरियाणा।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 17.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास जिला अलवर, राजस्थान के आदेश दिनांक 12.06.2015 (प्रकरण संख्या 10/12) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की गैर जानकारी व गैर मौजूदगी में पारित किया गया है, इस कारण समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी जिसमें अपीलान्ट की कोई लापरवाही नही रही है व दिनांक 06.082015 को अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन अपील के बारे में जानकारी की तो अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की जानकारी की और मौखिक रूप से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी जिस पर बाद जानकारी अपीलान्ट ने दिनांक 07.08.2015 को नकल अपीलाधीन निर्णय के लिये प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जो नकल दिनांक 07.08.2015 को तैयार होकर सायंकाल प्राप्त हुई, दिनांक 08.08.2015 को नकल अपने अधिवक्ता को दिखाकर कानूनी राय ली गई तो अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश कराने की कानूनी राय दी गई तथा दिनांक 09.08.2015 से अपील प्रस्तुत करने के दिन तक आवश्यक खर्चे का इन्तजाम किया गया और अपने अधिवक्ता से अपीलादि तैयार कराकर सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 06.08.2015 से बिना किसी देरी के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है। उन्होने कथन किया है कि जहॉ निर्णय आरम्भ से ही गैर कानूनी एवं अवैध व शून्य हो एवं पीड़ित पक्षकार को बिना सुने निर्णय पारित किया गया हो, वहॉ मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है, ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है इसलिये मियाद के बिन्दू पर नरम रूख अपनाया जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर हाल 72 रकबा 0.46 ऐयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.81 ऐयर, खसरा नम्बर 83 रकबा 1.28 ऐयर स्थित ग्राम चाचाका, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर राजस्थान में असल रेस्पोडेन्ट्स अप्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा, कब्जा काश्त नही है, अपितू सम्पूर्ण आराजी का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है, जो कि राजस्व रिकार्ड तथा कब्जे व मौक से बखूबी जाहिर है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश कानूनन मान्य है तथा तहत न्यायालय ग्राम पंचायत बाघोडा पंचायत समिति व तहसील किशनगढबास ने मृतक सहतू के वारिसान की सही प्रकार से जांच करके अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, ऐसी अवस्था में विवादित नामान्तरकरण निर्णय यथावत रखे जाने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 मृतक सहतू के जायज वारिस काबिज जायदाद नही है और ना ही उनका उसकी विरासत में कोई हक व हिस्सा कानूनन बनता है और ना कभी सहतू की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान की हैसियत से उनका कोई कब्जा मृतक की चल व अचल सम्पत्ति आराजी पर रहा है और ना वर्तमान में है, जबकि अपीलान्ट के हक में विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार वारिसान की सही प्रकार जॉच कर विवादित नामान्तरकरण दर्ज व तस्दीक किया गया है परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य एवं विवादित नामान्तरकरण यथावत रखे जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मृतक सहतू की विरासत का विवादित नामान्तरकण सन् 1996 में अपीलान्ट व उसकी माता के हक में तस्दीक किया गया जिस तथ्य की समस्त जानकारी असल रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को रही है लेकिन जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण असल रेस्पोडेन्ट ने अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय में करीब 16 साल बाद मिथ्या एवं मानघडन्त तथ्य व तारीख अंकित करते हुये अपील एकदम मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है और अपील को देरी से पेश करने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार नही

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिया गया, असल रेस्पोडेन्ट मियाद की बिन्दु पर कोई नरम रूख प्राप्त करने के अधिकारी नैतिक एवं विधिक रूप से नही है, अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय को अपील का मैरिट पर निस्तारण करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार मियाद के बिन्दु पर प्रथम सुनवाई कर असल रेस्पोडेन्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर बिना कोई बहस सुने असल रेस्पोडेन्ट की अपील को विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित मियाद में मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान में लोक अदालत की भावना से कोई राजीनामा नही हुआ और ना ही अपीलान्ट को अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प एवं लोक अदालत अभियान में उपिस्थत होने हेतु कोई नोटिस जारी नही किया गया, और ना ही अपीलान्ट वक्त निर्णय अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। उन्होने कथन किया है कि मुस्लिम विधि व रिति–रिवाज के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्रीयों को कोई हक व हिस्सा नही होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि प्रकरण पर पक्षकारान मुस्लिम समुदाय के होने के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये राजस्व कैम्प एवं लोक अदालत अभियान मे अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट की माता श्रीमती आशिनी ने अपने जीवनकाल मे मृतक सहतू की विरासत में अपना कोई हक व हिस्सा लेना नही चाहा और वक्त कार्यवाही नामान्तरकरण आशिनी द्वारा अपना हकत्याग करने बाबत सहमति दी गई, तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा सहतू मृतक की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। उन्होने कथन किया है कि श्रीमती आशिनी द्वारा अपने जीवनकाल में सहतू की विरासत का नामान्तरकरण का कोई एतराज नही किया है, अब जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण व श्रीमती आशिनी के मरने के बाद उसके वारिसान ने अपीलान्ट को तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने व नाजायज रूप से राशि वसूल करने की नियत से अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जबकि असल रेस्पोडेन्ट की बहस तरतीबी रेस्पोडेन्ट श्रीमती मैमूना को सहतू की विरासत के नामान्तरकरण के बारे में कोई एतराज नही है इसलिये अपीलाधीन न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर द्वारा राजस्व कैम्प

संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं लोक अदालत अभियान 2015 ग्राम पंचायत धूमकड में दिनांक 12.06.2015 को पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं विवादित नामान्तरकरण संख्या 432 दिनांक 24.11.1996 ग्राम धूमकड तहसील किशनगढबास जिला अलवर को बदस्तुर बहाल रखे जाने की आज्ञा पारित की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 12.06.15 को अपीलान्ट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षरों से होती है तथा प्रकरण अपीलान्ट की सहमति से निस्तारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर को मृतक खातेदार की विधिक वारिसान की जांच कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड ही किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान की जांच कर निर्णय किये जाना अभी बाकी है। ऐसे में अपीलान्ट अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखकर चाराजोही कर सकते है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.15 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।